न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 269 / 2021

अनवान : –

1. दलवीर सिंह पुत्र राजीराम जाति मेघवाल निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
2. राकेश कुमार पुत्र राजीराम जाति मेघवाल निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
3. उषा पुत्री राजीराम जाति मेघवाल निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
4. निर्मला पुत्री राजीराम जाति मेघवाल निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
5. कौशल्या पत्नी राजीराम जाति मेघवाल निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. भादरराम पुत्र मामचन्द जाति मेघवाल निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
2. सुखराम पुत्र मामचन्द जाति मेघवाल निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
3. पप्पूराम पुत्र मामचन्द जाति मेघवाल निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
4. सुल्तानसिंह पुत्र मामचन्द जाति मेघवाल निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
5. चंदो देवी पुत्री मामचन्द जाति मेघवाल निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
6. इन्द्रा पुत्री मामचन्द जाति मेघवाल निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
7. पार्वती पुत्री मामचन्द जाति मेघवाल निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादीगण**
श्री मनीराम सरावग अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः– 06/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 73 / 73 की कुल 15.1250 हैक्ट भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने वाद भूमि बाबत बाहमी बंटवारा किया हुआ है जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 5 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादी संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा वादी सं[illegible] हक हिस्सा वादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। इस प्रकार [illegible] संख्या 1 ता 2 संयुक्त रूप से 1 / 4 हिस्सा पर तथा 3 / 4 हिस्सा भूमि पर [illegible] संख्या 2 ता 4 [illegible] काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का [illegible]कारी है। यही बिनाये दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:25:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 5 ता 7 तथा वादी संख्या 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 73/73 की कुल 15.1250 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि, हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के [illegible] होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीया संख्या 1 व 5 ता 7 तथा वादी संख्या [illegible] ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:25:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

एतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 74/73 की कुल 15.1250 हैक्ट भूमि में से 5042/15125 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर 1/4 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 1 व 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा 3/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को बहिब के खातेदार कातश्कार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:25:40 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 269 / 2021

अनवान : –

1. दलवीर सिंह पुत्र राजीराम जाति मेघवाल निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
2. राकेश कुमार पुत्र राजीराम जाति मेघवाल निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
3. उषा पुत्री राजीराम जाति मेघवाल निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
4. निर्मला पुत्री राजीराम जाति मेघवाल निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
5. कौशल्या पत्नी राजीराम जाति मेघवाल निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. भादरराम पुत्र मामचन्द जाति मेघवाल निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
2. सुखराम पुत्र मामचन्द जाति मेघवाल निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
3. पप्पूराम पुत्र मामचन्द जाति मेघवाल निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
4. सुल्तानसिंह पुत्र मामचन्द जाति मेघवाल निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
5. चंदो देवी पुत्री मामचन्द जाति मेघवाल निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
6. इन्द्रा पुत्री मामचन्द जाति मेघवाल निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
7. पार्वती पुत्री मामचन्द जाति मेघवाल निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 269 सन 2021 निर्णय दिनांक — 06/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री मांगेराम गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 74 / 73 की कुल 15.1250 हैक्ट भूमि में से 5042 / 15125 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर 1 / 4 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 1 व 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा 3 / 4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को बहिब के खातेदार कातश्कार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक [illegible] हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:25:40 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर